

उत्तर प्रदेश सरकार
संसदीय कार्य अनुभाग-1
संख्या-77/90-सं-1-2012-11सं/2017
लखनऊ: दिनांक : 17 मार्च, 2017

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित आदेश दिया है जो एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

“आदेश
‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मैं, राम नाईक, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की विधान सभा, जो दिनांक 08 मार्च, 2012 को गठित की गयी थी, का विघटन तात्कालिक प्रभाव से करता हूँ।

दिनांक- 17 मार्च, 2017

राम नाईक
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश। ”

आज्ञा से,


(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-77(1)/90-सं-1-2017-11 सं/2017
प्रतिलिपि:-

1. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को सूचनार्थ,
- ✓ 2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को सूचनार्थ,
4. मा0 मुख्यमंत्री एवं अन्य समस्त मा0 मंत्रिगण के निजी सचिव को मा0 मुख्यमंत्री एवं मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ,
5. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ,

6. सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ,
7. सचिव, संसदीय कार्य विभाग, भारत सरकार, संसद भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ,
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ,
9. प्रमुख सचिव न्याय विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित ,

आज्ञा से,



(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

~